Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- कोटपूतली बहरोड़ में आरोपी श्री ललित कुमार यादव पुत्र श्री हरपाल सिंह यादव, उम्र 25 वर्ष, निवासी गादोज तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ एस.डी.एम. श्री रामकिशोर मीणा के लिए 70,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 22 मई, गुरूवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर की स्पेशल यूनिट–द्वितीय ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री ललित कुमार यादव पुत्र श्री हरपाल सिंह यादव उम्र 25 वर्ष, निवासी गादोज तहसील बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला कोटपूतली श्री रामकिशोर मीणा, उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ के लिए उसके भूमि ख.नं. 1087 रकबा 1.19 हैक्टेयर में से 9000 वर्गमीटर पर लघु ईट भट्टा लगाने के सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त करने के लिए 1 लाख रूपये की रिश्वत की मांग कर आज दिनांक 22.05.2025 को **70 हजार रूपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरडा** ने बताया कि एसीबी जयपुर की स्पेशल यूनिट–द्वितीय को एक शिकायत इस आशय की मिली कि परिवादी की भूमि खसरा नम्बर 1087 रकबा 1.19 हैक्टेयर में से 9000 वर्गमीटर पर लघु ईट भट्टा लगाने के सम्परिवर्तन आदेश को निरस्त करने के लिए **1 लाख रूपये** की रिश्वत की मांग कर परेशान कर रहा है।

जिस पर एसीबी रेंज जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस–चतुर्थ श्री अनिल कयाल** के सुपरविजन में एसीबी स्पेशल यूनिट–द्वतीय के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर प्रसाद** के नेतृत्व में **उप अधीक्षक पुलिस श्री विजय सिंह** द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री ललित कुमार यादव हाल वरिष्ठ सहायक (रीडर) कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ जिला कोटपूतली बहरोड़ एस.डी.एम. श्री रामकिशोर मीणा के लिए 70 हजार रूपये रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **उप महानिरीक्षक पुलिस–तृतीय श्री राजेश कुमार सिंह** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जावेगा।